भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3504

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

कौशल विकास पहलों का आकलन

3504. श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से प्रमुख कौशल विकास पहलों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित देश भर में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रशिक्षित और रोजगार में रखे गए उम्मीदवारों की वर्ष-वार और योजना-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार के प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रोजगार प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के औसत वेतन के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के रोजगार प्राप्त करने के छह माह और एक वर्ष बाद भी रोजगार में बने रहने के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए इन कौशल विकास पहलों की प्रभावकारिता का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (सिम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की विभिन्न स्कीमों अर्थात् प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से तथा शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के सभी वर्गों को कौशलीकरण, पुनर्कौशलीकरण तथा कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य भारत के युवाओं को भावी आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाना तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग-संगत कौशल से सुसज्जित करना है।

वर्ष 2019-20 से 2026-27 (दिनांक 30.06.2026 तक) की अवधि के दौरान कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की प्रमुख कौशल विकास स्कीमों के अंतर्गत देशभर में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार तथा स्कीम-वार ब्यौरा **अनुबंध-I से IV** में दिया गया है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की स्कीमों में से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक के अंतर्गत केवल प्रथम तीन चरणों (पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 एवं पीएमकेवीवाई 3.0), जो वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक संचालित किए गए, में प्लेसमेंट को ट्रैक किया गया था। पीएमकेवीवाई (1.0 से 3.0) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 28,142 अभ्यर्थियों के नियोजित होने की सूचना प्राप्त हुई है। पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल पाठ्यक्रमों, जिनमें ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग-(ओजेटी) भी शामिल है, के माध्यम से विविध कैरियर विकल्पों का चयन करने के लिए सक्षम बनाने पर बल दिया गया है।

सरकार, कौशल भारत मिशन के अंतर्गत संचालित कौशलीकरण पहलों की समय-समय पर समीक्षा करती है। इन समीक्षाओं के दौरान नामांकन, प्रमाणन, प्लेसमेंट, स्वरोजगार परिणामों तथा नियोजकों से प्राप्त फीडबैक का आकलन किया जाता है, ताकि रोजगार क्षमता एवं भविष्य की कौशल आवश्यकताओं को सुदृढ़ बनाने में इन पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके। इन समीक्षाओं के आधार पर पाठ्यचर्या का निरंतर अद्यतनीकरण, उद्योगों के साथ सहयोग तथा कार्यान्वयन व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाते हैं, जिससे कौशल विकास कार्यक्रम, उभरती प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों तथा श्रम बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहें। इसके अतिरिक्त, व्यापक कौशल विकास स्कीमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) आधारित निगरानी, तृतीय पक्ष मूल्यांकन तथा लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से भी किया जाता है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा वर्तमान में संचालित सभी स्कीमों का सामान्यतः तथा विशेष रूप से संबंधित स्कीम के विस्तार की स्वीकृति के समय तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन कराया गया है। एमएसडीई द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के मूल्यांकन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 का स्वतंत्र तृतीय पक्ष प्रभाव मूल्यांकन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, पीएमकेवीवाई के अंतर्गत प्रदान किए गए प्रशिक्षण से अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) प्राप्त अभ्यर्थियों के रोजगार संबंधी परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रशिक्षण से पूर्व नियोजित एवं नियोजित एसटीटी अभ्यर्थियों का संयुक्त हिस्सा 26.6 प्रतिशत था, जो पीएमकेवीवाई प्रशिक्षण के उपरांत बढ़कर 45.4 प्रतिशत हो गया, अर्थात् इसमें 18.8 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई। आय से संबंधित परिणामों में भी सकारात्मक

परिवर्तन परिलक्षित हुआ है। प्रशिक्षण एवं प्रमाणन के उपरांत 41.4 प्रतिशत एसटीटी अभ्यर्थियों तथा 48.9 प्रतिशत पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) प्राप्त अभ्यर्थियों ने अपनी आय में वृद्धि होने की सूचना दी है। समग्र रूप से, पीएमकेवीवाई 4.0 ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण एवं प्रमाणन तक पहुँच का उल्लेखनीय विस्तार किया है तथा बड़ी संख्या में लाभार्थियों के कौशल संबंधी आत्मविश्वास, रोजगार में भागीदारी और आय संबंधी परिणामों में मापनीय सुधार सुनिश्चित किया है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम की पहुँच, प्रभावशीलता तथा आजीविका संबंधी परिणामों का आकलन करने के लिए वर्ष 2025 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन में स्कीम की उल्लेखनीय उपलब्धियाँ सामने आईं। इसके अंतर्गत 33.94 लाख व्यक्तियों का नामांकन हुआ, जिनमें से 32 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा 31.52 लाख व्यक्तियों को प्रमाणित किया गया, जो समग्र रूप से 99 प्रतिशत की सफलता दर को दर्शाता है। प्रशिक्षणार्थियों में महिलाओं की भागीदारी 82 प्रतिशत रही, जबकि 73 प्रतिशत लाभार्थी वंचित वर्गों से थे, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (36 प्रतिशत) तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (37 प्रतिशत) के लाभार्थी शामिल थे। इस स्कीम का आजीविका पर भी उल्लेखनीय प्रभाव देखा गया। प्रशिक्षण प्राप्त 90 प्रतिशत पूर्व प्रशिक्षणार्थियों ने अर्जित कौशल का उपयोग आय अर्जित करने के लिए किया, 82 प्रतिशत लाभार्थी प्रशिक्षण के छह माह के भीतर आर्थिक गतिविधियों से जुड़ गए तथा प्रशिक्षण से पूर्व आय अर्जित न करने वाले 60 प्रतिशत व्यक्तियों ने प्रशिक्षण के उपरांत आय अर्जित करना प्रारंभ किया। लाभार्थियों की औसत मासिक आय में चार गुना वृद्धि दर्ज की गई।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस-2): प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (पीएमएनएपीएस-2) का वर्ष 2022-23 से 2025-26 (30 नवम्बर, 2025 तक के आँकड़ों के आधार पर) तृतीय पक्ष मूल्यांकन अध्ययन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम) द्वारा किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार, मूल्यांकन अवधि के दौरान पीएमएनएपीएस-2 ने उल्लेखनीय स्तर पर प्रगति की। इस स्कीम के अंतर्गत 46 लाख के संचयी लक्ष्य की तुलना में 34.69 लाख शिक्षुओं को जोड़ा गया, जो लगभग 75 प्रतिशत उपलब्धि को दर्शाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था के संस्थागत क्रियान्वयन से वित्तीय पारदर्शिता तथा धनराशि के संवितरण की पूर्वानुमेयता में सुधार हुआ है।

'कौशल विकास पहलों का आकलन' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उलिलखित अनुबंध।

अनुबंध-।

वर्ष 2019-20 से 2026-27 (30.06.2026 तक) की अवधि के दौरान पीएमकेवीवाई स्कीम के अंतर्गत देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1,259	1,464	613	310	648	909	30	337
आंध्र प्रदेश	1,05,667	66,404	13,199	5,798	32,449	35,471	3,094	6,930
अरुणाचल प्रदेश	15,700	51,991	8,884	667	4,152	10,054	125	74
असम	1,98,896	3,62,506	24,517	8,721	38,190	75,182	5,902	8,106
बिहार	1,91,902	96,288	47,643	12,213	23,613	99,982	4,451	2,812
चंडीगढ़	9,507	3,834	893	491	319	628	148	195
छत्तीसगढ	**46,548**	**16,151**	**9,495**	**4,356**	**8,385**	**16,452**	**490**	**325**
दिल्ली	1,46,205	55,121	19,965	2,262	10,686	12,277	2,769	493
गोवा	4,300	1,709	604	176	183	236	12	0
गुजरात	1,55,195	48,489	35,001	6,503	19,975	39,762	949	1,189
हरियाणा	1,75,386	54,719	18,191	8,963	27,411	75,942	8,308	1,509
हिमाचल प्रदेश	48,870	15,612	8,724	3,539	5,348	19,341	3,582	537
जम्मू और कश्मीर	1,22,659	58,927	21,339	7,352	28,895	85,557	4,689	3,306
झारखंड	1,20,103	15,452	34,233	5,302	8,796	30,034	1,785	460
कर्नाटक	1,65,247	53,066	23,153	8,410	13,025	69,486	7,339	2,279
केरल	78,523	31,077	12,968	5,673	8,832	10,449	1,118	192
लद्दाख	1,937	181	731	246	445	312	0	0
लक्षद्वीप	60	90	120	0	0	120	0	0
मध्य प्रदेश	2,23,483	95,403	46,659	21,345	34,884	2,59,871	16,686	14,322
महाराष्ट्र	6,37,002	1,48,352	39,864	14,913	35,284	75,368	8,180	1,780
मणिपुर	28,962	34,540	6,424	1,146	2,879	20,798	1,067	412
मेघालय	11,999	17,769	3,406	1,245	2,502	7,938	1,168	1,244
मिजोरम	10,837	11,433	4,742	1,162	3,533	6,871	1,384	395
नागालैंड	17,364	14,399	4,184	1,803	3,830	7,299	662	1,578
ओडिशा	2,39,050	68,828	12,645	12,116	21,457	26,231	2,189	815
पुदुचेरी	7,172	3,241	1,622	689	1,556	3,096	646	708
पंजाब	97,681	57,054	18,539	7,568	11,836	1,06,699	10,259	13,208
राजस्थान	4,46,900	97,822	38,511	9,232	23,564	2,80,156	10,856	736
सिक्किम	5,123	3,634	1,322	381	2,802	2,874	0	50
तमिलनाडु	1,85,108	72,404	29,057	8,029	34,533	85,689	10,786	3,640
तेलंगाना	1,08,145	33,999	13,107	8,040	15,390	22,188	6,344	2,660
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	5,338	222	252	31	301	1,407	75	54
त्रिपुरा	50,388	46,676	4,490	1,608	5,081	14,363	1,906	2,711
उत्तर प्रदेश	6,56,829	2,39,286	69,015	25,568	71,771	4,63,503	28,823	10,834
उत्तराखंड	68,250	29,412	10,522	2,942	11,669	35,364	3,650	562
पश्चिम बंगाल	1,77,880	53,221	31,406	12,370	25,768	36,410	3,916	1,301

अनुबंध- II

वर्ष 2019-20 से 2026-27 (30.06.2026 तक) की अवधि के दौरान जेएसएस स्कीम के अंतर्गत देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	900	1,800	1,800	1,800	1,797	-
आंध्र प्रदेश	10,901	8,580	11,699	16,200	10,800	10,769	10,795	-
अरुणाचल प्रदेश	570	-	-	-	-	-		
असम	9,243	8,883	9,139	12,600	9,000	10,799	10,798	40
बिहार	22,708	16,314	28,769	56,594	37,786	36,733	37,073	698
चंडीगढ़	1,836	1,120	1,600	2,700	1,800	1,770	1,462	-
छत्तीसगढ	**13,483**	**10,480**	**18,151**	**37,777**	**23,376**	**24,967**	**25,158**	**380**
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,558	897	2,379	3,255	3,179	2,417	3,197	20
दिल्ली	5,487	4,940	5,440	8,099	5,398	5,391	5,363	20
गोवा	1,741	1,664	1,740	2,700	1,800	1,700	1,799	20
गुजरात	18,640	16,840	19,228	23,917	14,160	14,311	14,889	240
हरियाणा	9,002	8,705	8,939	10,728	7,181	3,333	3,437	-
हिमाचल प्रदेश	1,400	1,504	8,424	28,244	18,630	18,052	18,865	120
जम्मू और कश्मीर	3,429	3,554	2,396	500	1,020	680	2,297	-
झारखंड	5,383	4,424	9,964	25,220	22,439	20,976	23,063	60
कर्नाटक	16,201	15,525	18,735	31,492	21,532	21,509	21,377	100
केरल	16,247	13,900	16,148	24,300	16,198	15,929	16,199	100
लद्दाख	-	-	-	600	212	-	717	-
लक्षद्वीप	-	-	-	1,481	1,772	900	999	25
मध्य प्रदेश	50,449	45,501	52,222	70,259	49,089	51,477	52,082	540
महाराष्ट्र	38,023	35,102	38,479	52,934	37,273	36,861	37,612	720
मणिपुर	5,387	5,327	6,285	10,278	7,197	7,219	7,200	240
मेघालय	-	-	-	1,660	1,800	1,780	1,759	-
मिजोरम	-	-	900	2,472	1,800	963	922	
नागालैंड	1,800	1,800	1,812	1,999	2,631	540	2,560	-
ओडिशा	30,677	25,820	40,635	71,765	50,828	52,123	52,151	338
पंजाब	3,434	1,607	3,567	4,138	3,560	2,980	3,458	180
राजस्थान	9,069	9,493	12,443	20,651	14,831	15,534	16,180	120
तमिलनाडु	14,244	11,727	14,045	19,784	14,780	15,124	15,818	-
तेलंगाना	12,452	8,497	10,398	15,639	10,300	10,787	10,793	200
त्रिपुरा	1,631	1,101	2,610	5,397	3,600	3,480	3,567	-
उत्तर प्रदेश	85,436	77,335	88,648	1,22,510	84,573	82,475	82,532	560
उत्तराखंड	10,776	8,800	12,433	20,687	14,393	13,978	14,304	380
पश्चिम बंगाल	14,125	10,356	13,868	17,904	12,599	13,133	14,118	60

अनुबंध- III

वर्ष 2019-20 से 2026-27 (30.06.2026 तक) की अवधि के दौरान एनएपीएस स्कीम के अंतर्गत देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	3	9	41	48	199	177	92
आंध्र प्रदेश	3,863	4,394	15,501	16,424	21,701	22,075	26,446	6,448
अरुणाचल प्रदेश	0	3	18	42	65	66	204	48
असम	2,204	2,452	14,007	9,660	8,174	5,801	10,028	1,394
बिहार	1,166	1,236	6,476	5,543	5,317	5,502	9,013	2,549
चंडीगढ़	346	280	813	668	1,231	1,692	1,739	244
छत्तीसगढ	**5,073**	**1,650**	**2,631**	**4,875**	**5,249**	**5,362**	**6,820**	**994**
दिल्ली	5,118	7,785	17,799	15,817	15,957	22,471	30,330	8,381
गोवा	1,720	2,032	3,432	4,406	11,882	11,770	12,412	2,244
गुजरात	45,132	56,920	69,568	76,222	83,957	90,796	1,09,027	24,788
हरियाणा	18,916	31,859	42,338	62,867	66,714	66,504	85,979	23,171
हिमाचल प्रदेश	1,911	1,769	5,670	6,825	10,212	9,257	10,891	2,277
जम्मू और कश्मीर	305	260	832	989	859	1,026	1,230	201
झारखंड	2,137	5,034	8,258	9,151	11,883	9,686	10,674	2,416
कर्नाटक	13,818	17,279	41,972	58,629	78,457	92,843	1,16,343	25,924
केरल	3,899	6,427	8,975	11,275	13,104	15,317	15,519	3,805
लद्दाख	0	6	18	28	66	50	19	17
लक्षद्वीप	0	18	4	9	6	8	14	0
मध्य प्रदेश	6,960	9,525	17,093	21,205	22,706	26,823	34,210	10,066
महाराष्ट्र	37,203	71,454	1,46,903	1,86,010	2,63,245	2,78,423	3,01,910	59,230
मणिपुर	16	11	90	32	18	187	219	36
मेघालय	51	105	117	181	212	328	175	34
मिजोरम	4	1	4	4	12	146	280	22
नागालैंड	14	1	27	22	15	24	40	33
ओडिशा	3,397	3,681	8,296	10,458	10,755	10,757	12,416	1,965
पुदुचेरी	481	299	1,090	1,343	2,469	4,268	5,953	969
पंजाब	2,856	4,463	11,659	15,361	14,761	15,510	25,649	5,773
राजस्थान	4,077	6,412	9,478	15,204	18,230	22,328	32,243	7,056
सिक्किम	128	162	308	202	298	439	508	204
तमिलनाडु	13,607	24,913	49,929	72,311	1,01,553	1,01,788	1,43,236	33,145
तेलंगाना	9,687	13,996	38,454	31,821	37,775	34,017	47,501	12,080
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	97	597	1,282	1,006	2,878	3,570	4,100	1,156
त्रिपुरा	437	255	244	368	383	449	533	95
उत्तर प्रदेश	12,588	19,967	38,042	56,946	71,505	78,966	1,06,269	24,514
उत्तराखंड	2,491	4,360	9,986	16,436	21,058	22,887	30,643	7,074
पश्चिम बंगाल	6,185	7,368	18,791	26,109	29,538	23,324	35,153	8,531

अनुबंध- IV

वर्ष 2019 से 2025 सत्र की अवधि के दौरान सीटीएस स्कीम के अंतर्गत देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, वर्ष-वार नामांकित उम्मीदवारों की संख्या:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	441	619	531	450	481	838	829
आंध्र प्रदेश	56,264	49,142	45,612	48,110	50,568	52,447	54213
अरुणाचल प्रदेश	564	577	497	674	733	669	697
असम	2,965	3,210	3,500	3,548	5,325	4,256	5725
बिहार	112,408	105,030	110,399	90,830	125,625	116,293	116754
चंडीगढ़	968	831	910	907	1,083	898	1175
छत्तीसगढ	**21,831**	**19,571**	**22,320**	**20,816**	**24,226**	**22,237**	**23970**
दिल्ली	9,757	8,672	8,774	9,261	10,288	9,368	10970
गोवा	1,727	1,742	2,080	2,126	2,255	2,161	2404
गुजरात	69,531	85,391	81,236	84,648	98,454	78,811	90790
हरियाणा	53,251	54,275	49,032	45,161	54,944	51,465	53477
हिमाचल प्रदेश	22,203	17,923	20,332	22,691	23,371	18,801	16973
जम्मू और कश्मीर	4,396	7,545	8,062	8,130	8,504	8,226	10047
झारखंड	33,463	25,626	29,760	35,573	40,108	40,263	48331
कर्नाटक	73,714	54,244	66,238	73,068	78,724	64,447	71839
केरल	35,201	31,632	35,493	34,741	33,196	30,445	30132
लद्दाख	151	118	171	326	368	375	421
लक्षद्वीप	246	435	374	303	360	341	210
मध्य प्रदेश	73,278	71,096	63,306	69,194	73,224	69,309	79970
महाराष्ट्र	110,734	102,680	112,997	121,884	128,009	115,889	130810
मणिपुर	80	82	108	668	812	721	894
मेघालय	512	514	508	738	714	992	1000
मिजोरम	274	242	256	334	396	260	328
नागालैंड	228	222	186	267	240	379	324
ओडिशा	49,043	49,694	57,401	54,005	65,801	54,855	61348
पुदुचेरी	789	687	689	737	796	695	704
पंजाब	39,747	47,590	39,992	39,986	43,997	40,370	44247
राजस्थान	136,224	101,614	95,342	99,263	109,648	90,937	88418
सिक्किम	207	260	181	424	312	353	431
तमिलनाडु	35,024	27,315	28,496	35,078	41,127	35,466	39119
तेलंगाना	32,775	29,468	27,183	26,480	29,579	33,583	40452
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	319	318	443	666	908	822	841
त्रिपुरा	1,497	2,043	1,603	2,470	2,452	2,240	2714
उत्तार प्रदेश	336,119	279,998	273,714	269,106	333,024	317,044	385871
उत्तराखंड	11,052	8,344	8,918	10,807	11,499	8,661	11526
पश्चिम बंगाल	32,506	30,696	29,207	37,711	44,211	40,216	42323
